न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पिठासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
वाद सं0 214/15
निर्णय दिनांक: 03.05.2018

1. मनभरीदेवी पुत्री गिरराज
2. नाना पुत्री गिरराज
3. पानादेवी पत्नि गिरराज

समस्त जाति बावरिया नि0 नारदपुरा तह0 सांभरलेक जिला जयपुर
वादीगण

बनाम

1. गिरराज पुत्र दाना जाति बावरिया नि0 नारदपुरा तह0 सांभरलेक जिला जयपुर
2. तहसीलदार तह0 फुलेरा मु0 सांभरलेक
3. उप पंजीयक तह0 सांभरलेक

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 संयुक्त हिन्दू परिवार के मुश्तर्का खानदान के सदस्य है वादीगण सं0 1 व 2 प्रतिवादी सं0 1 की जांयदा सताने है वादी सं0 3 प्रतिवादी सं0 1 की विवाहिता धर्मपत्नि है। खाता सं0 76 की आराजी खं0नं0 135 रकबा 11 विस्वा, खं0नं0 171 रकबा 8 बीघा 4 विस्वा, खं0नं0 172 रकबा 3 बीघा 1 विस्वा, खं0नं0 173 रकबा 2 बीघा 8 विस्वा, खं0नं0 174 रकबा 1 बीघा 6 विस्वा किता 5 कुल रकबा 15 बीघा 10 विस्वा वाकै नारदपुरा प0ह0 चैनपुरा गि0ह0 नरायना तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है जो पक्षकारान की पुश्तैनी आराजी है जिसमें पूर्व में दाना खातेदार काश्तकार था उसके स्वर्गवास बाद सिजरा अनुसार श्योराम, भागचन्द, गिरराज, काना पि0 दाना के नाम समान भाग का खुलकर अमल दरामद हो गया इस प्रकार प्रतिवादी सं0 1 गिरिराज 1/4 हिस्सें का रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी सं0 1 को उक्त 1/4 हिस्सा अपने पिता दाना की विरासत से प्राप्त हुआ है उसकी स्वअर्जित नहीं है हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम व काश्तकारी प्रावधानों अनुसार वादी सं0 1,

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

2 प्रतिवादी सं0 1 के जांयदा पुत्रीया होने से उनका बाई बर्थ हित निहित हो गया व वादीगण सं0 3 प्रतिवादी सं0 1 की धर्मपत्नि है अतः वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 सभी उक्त 1/4 हिस्सें में समान भाग के हकदार है और काबिज काश्त चले आ रहे है प्रतिवादी सं0 1 जिसे उक्त आराजी 1/4 हिस्सें की दाना की विरासत से प्राप्त शुदा है सम्पूर्ण विक्रय करने का अधिकार नहीं है वादीगण की आजीविका/जीविकोपार्जन उक्त आराजी से होता है। कुछ समय से प्रतिवादी सं0 1 भू माफियोंके चुंगल में है ओर अक्सर शराब के नशें में रहता है ओर जमीनों के दलालों के बहकावें में आकर विवादग्रस्त आराजी में दाना की विरासत से प्राप्त शुदा सम्पूर्ण 1/4 हिस्सा विक्रय/ हस्तान्तरण करने पर उतारू है इस गरज से दिनांक 04.10.15 को प्रतिवादी सं0 1 अजनबीयों को विवादग्रस्त आराजी पर लेकर आया ओर अपने हिस्सें की सम्पूर्ण आराजी विक्रय करने/ वादीगण को बेदखल करने की धमकी देने लगा वादीगण ने ऐसा करने से इंकार किया तो नहीं माना व वादीगण के अधिकारों से इंकार किया अतः यह वाद बाबत् इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्व प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से वकील श्री मनोज कुमावत ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 अटल सेवा केन्द्र चैनपुरा में पेश हुयी। वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ने उपस्थित होकर उक्त वाद डिक्री किये जाने की सहमति दी।

वकील वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 खाता सं0 76 पेश की है।

वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ने वाद को राजस्व लोक अदालत की भावना से डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली का ध्यानूपर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के पश्चात् वादीगण का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

Scanned by CamScanner

क्रियात्मक आदेश

अतः वादीगण का वाद बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि खाता सं0 76 की आराजी खं0नं0 135 रकबा 11 विस्वा, खं0नं0 171 रकबा 8 बीघा 4 विस्वा, खं0नं0 172 रकबा 3 बीघा 1 विस्वा, खं0नं0 173 रकबा 2 बीघा 8 विस्वा, खं0नं0 174 रकबा 1 बीघा 6 विस्वा किता 5 कुल रकबा 15 बीघा 10 विस्वा वाकै ग्राम नारदपुरा प0ह0 चैनपुरा गि0ह0 नरायना तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 के दर्ज 1/4 हिस्सें में वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 चारों समान भाग के यानी सम्पूर्ण आराजी में वादीगण मनमरीदेवी, नाना, पानादेवी 3/16 हिस्सें व प्रतिवादी सं0 1 गिरराज 1/16 हिस्सें के संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार फुलेरा को लिखा जावें। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो दर्ज नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 03.05.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प चैनपुरा मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक मुकाम सांभर लेक

बइजलास श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0

मनभरीदेवी वगै0 बनाम गिरराज वगै0

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एंव स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नंबर 214/15

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री प्रभूदयाल वर्मा व हाजरी श्री मनोज कुमावत मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद बाबत घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि खाता सं0 76 की आराजी खं0नं0 135 रकबा 11 विस्वा, खं0नं0 171 रकबा 8 बीघा 4 विस्वा, खं0नं0 172 रकबा 3 बीघा 1 विस्वा, खं0नं0 173 रकबा 2 बीघा 8 विस्वा, खं0नं0 174 रकबा 1 बीघा 6 विस्वा किता 5 कुल रकबा 15 बीघा 10 विस्वा वाकै ग्राम नारदपुरा प0ह0 चैनपुरा गि0ह0 नरायना तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 के दर्ज 1/4 हिस्सें में वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 चारों समान भाग के यानी सम्पूर्ण आराजी में वादीगण मनभरीदेवी, नाना, पानादेवी 3/16 हिस्सें व प्रतिवादी सं0 1 गिरराज 1/16 हिस्सें के संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। ....निज ..... मुबलिग..... ..... बाबत..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03 माह 05 सन् 2018 को जारी की गई।

दस्तखत.....

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

मुहर

ओहदा

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner